<u>प्रतिवेदन</u>

परियोजना का नाम :– जनपद अल्मोड़ा में देघाट–तल्ली चम्याड़ी नारायण मन्दिर–सैरामुनानी–मालभीड़ा–धारकोट–मालीखेत–नागचूलाखाल मोटर मार्ग का नव निर्माण। ([illegible] है0) (लम्बाई 18.500 किमी.)

5.2731

उपरोक्त मोटर मार्ग का शासनादेश सं. 299/लो0नि0–2/2004–16(प्रा0आ0)/2004 दिनांक 28.02.204 के द्वारा 18.500 किमी. लम्बाई हेतु रू. 469.72 लाख मात्र की स्वीकृति प्राप्त हुई है।

यह मोटर मार्ग तल्ली चम्याड़ी से नागचूलाखाल तक लगभग 6–7 ग्रामसभाओ को लाभ पहुँचायेगा। इस मार्ग की मांग स्थानीय जनता एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा बार–बार की जा रही है तथा इस मोटर मार्ग के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव गठित कर पूर्व में स्वीकृति हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार को प्रेषित किये गये थे। उनके द्वारा प्रस्तावों में कतिपय बिन्दुओं में आपत्ति लगायी गयी थी व प्रभावित भूमि के डिजिटल मैप भी तैयार कर 90 दिन के अन्तर्गत भारत सरकार को प्रेषित करने हेतु लिखा गया था। त्रुटियो का निराकरण एवं डिजिटल मैप 90 दिन के अन्तर्गत तैयार न होने के कारण उनके पत्रांक 11/मिस/बन्द/1146/यू.पी.सी./11/1649 दिनांक 18.01.2012 के द्वारा बन्द कर दिये गये थे।

पुनः संयुक्त निरीक्षण कराकर इस खण्ड द्वारा संशोधित प्रस्ताव गठित कर, 7.10 हे0 में अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किये जा रहे है।

अपर सहायक अभियन्ता	सहायक अभियन्ता,	अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,	प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,	प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत	रानीखेत	रानीखेत